निगरानी 1331-I-15

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग</u>

भुवानी बाई पतिन हीरालाल यादव ,

निबासी ग्राम बार, तहसील वलदेवगढ़, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

..................आवेदिका

वनाम

29 MAY 2015

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ जिला ,

.... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-</u>

आवेदिका की ओर से निम्न प्रार्थना है :-

1- यह कि आवेदिका द्वारा यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर द्वारा प्र0क0 233/बी121/2003-04 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24/09/2013 से परिवेदित होकर कर रही है। जिसके साथ धारा 05 मयाद अधिनियम का आवेदन पत्र संलग्न है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, नायब तहसीलदार वल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0क0 05/अ-19-2/97-98 में पारित आ0 दि0 02/09/1998 के द्वारा ग्राम वार, स्थित भूमि खसरा नं0 304/1 में से 1.00 है0 भूमि आवेदिका के नाम से 2 अक्टूवर 1984 के प्रावधान के तहत व्यवस्थापन किया था। उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि पर आवेदिका का पीड़ीदर पीड़ी कब्जा है, तथा उसके द्वारा उपरोक्त भूमि पर काफी धन एवं लागत लगाकर उसको उपजाउ बना लिया हैं।

3- यह कि अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा उपरोक्त प्रकरण में किये गये व्यवस्थापन की जॉच अपने प्र0 क0 550/बी121/99/2000 के द्वारा करके दिनांक 03/07/2000 को कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को एक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–1331/एक/15 जिला–टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश भुबानी बाई/म0प्र0 शासन	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–10–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री राजेन्द्र पटेरिया उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समय उपस्थित होकर बताया गया कि आवेदिका मुझसे अपनी केस फाइल वापिस ले गयी है । सम्भवतः अब वह प्रकरण को चलाना नहीं चाहती है । मेरे द्वारा अधिवक्ता के बताए अनुसार प्रकरण का परिशीलन किया तथा आवेदिका के स्वयं उपस्थित होने का इंतजार किया गया । न तो आवेदिका स्वयं उपस्थित हुई और न ही उसके द्वारा इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही को आगे बढाने का प्रयास ही किया गया। ऐसी स्थिति में ऐसा प्रतीत होता है, कि आवेदिका को प्रकरण को चलाने में कोई रूचि नहीं है । वैसे भी प्रकरण का अवलोकन करने से पाया गया, कि प्रकरण में आवेदिका को व्यवस्थापित भूमि कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक–31.12.2003 से शासकीय घोषित कर दी गयी है । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जहां पर भी कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखा गया है । दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है, जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः प्रकरण में आवेदिका को रूचि न होने तथा अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निष्कर्ष भी समवर्ती होने से एवं प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	1